

बिजली कॉटन मिल (यूनिट ऑफ नेशनल टैक्सटाईल

कॉर्पोरेशन यू.पी. लिमिटेड)

बनाम

यू.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य

16 नवम्बर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जेजे.]

रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 : नेशनल औद्योगिक कॉर्पोरेशन की रूग्ण ईकाई- विद्युत विच्छेदन- विलंब भुगतान अधिभार का भुगतान करने का दायित्व- बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत विद्युत बोर्ड द्वारा ब्याज और नुकसान की छूट/समाप्ति -अभिनिर्धारित उच्च न्यायालय अपने समक्ष उठाये गए विभिन्न पत्रों और आधारों को संदर्भित करने में विफल रहा-मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया- पक्षकारों को बी आई एफ आर में प्रकरण की यह स्थिति स्पष्ट करने हेतु जाना चाहिये कि विलंब भुगतान अधिभार ब्याज में शामिल है या क्षति/नुकसान में, जबकि स्वीकृत स्थिति अनुसार ब्याज उद्धृत नहीं था।-बी आई एफ आर का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। जो मामले का शीघ्रता से निर्णय करेगा।

अपीलार्थी- काॅटन मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम यू.पी. की एक इकाई थी मिल में उत्पादन 1992 में बंद कर दिया गया और इसकी विद्युत आपूर्ति काट दी गई। मिल की रूग्णता का मामला बोर्ड को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनःनिर्माण के लिये भेजा गया था। बी आई एफ आर के पैरा 5.03 (v) और 5.04 में योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत बिजली बोर्ड को अपीलकर्ता मिल के संबंध में बिजली पर ब्याज और क्षति को माफ करना था और

केवल मूल राशि स्वीकार करनी थी। प्रतिवादी निगम द्वारा बिजली खपत के लिये मूल राशि और विलंब भुगतान अधिकार के लिये एक बिल जारी किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार उसने मूल राशि का भुगतान कर दिया और यह आधार/तर्क लिया कि विलंब भुगतान अधिभार की मांग योजना के विपरीत थी। उच्च न्यायालय ने मिल के विरुद्ध निर्णय सुनाया।

मिल्स द्वारा दायर की गई त्वरित अपील में, अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एन टी सी, की एक अन्य इकाई नाम लार्ड कृष्णा मिल्स मामले में इस तरह का समान अनुतोष मांगा गया और दिया गया और उस मामले के तथ्य इस मामले से विशिष्ट/अलग नहीं होने के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा अनुतोष देने से इंकार करना उचित नहीं था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित किया।

अभिनिर्धारित:

1.1 योजना के बाध्यकारी प्रभाव के बारे में कोई संदेह नहीं है। अनुमोदित योजना परिचालित की गई थी। उच्च न्यायालय ने इस पर चर्चा नहीं की है कि लार्ड कृष्णा मिल्स का मामला तथ्यों के आधार पर किस प्रकार और कैसे भिन्न था। यदि योजना के खंड 5.03 और 5.04 के वास्तविक प्रभाव के संबंध में कोई संदेह था तो मामला बी आई एफ आर के समक्ष इसे स्पष्ट करने हेतु रखा जा सकता था। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत किये गए और उठाये गए विभिन्न पत्रों और आधारों का भी उल्लेख नहीं किया है, विशेष रूप से जो निर्णय में उल्लेखित थे। (पैरा 10 ओर 12) (132-जीः, 133-जीः, 134-ए,ई) मैसर्स एल.एम.एल. लिमिटेड कानपुर बनाम उ.प्र. राज्य और अन्य, एआईआर (2001) इलाहाबाद 321, अभिनिर्धारित लागू नहीं।

1.2 पक्षकारों द्वारा बी आई एफ आर को यह स्पष्ट करने हेतु जाना चाहिए कि क्या विलंबित भुगतान अधिभार ब्याज या क्षति में शामिल है, इस दृष्टि से कि स्वीकृत स्थिति अनुसार ब्याज नहीं लगाया गया था। बी आई एफ आर का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। लार्ड कृष्णा मिल्स के मामले में छुट के प्रभाव और निर्णय में उल्लेखित/संदर्भित दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विधिवत विचार किया जायेगा। बी आई एफ आर का आदेश प्राप्त होने के बाद उच्च न्यायालय इस मामले का शीघ्रता से निस्तारण करेगा। (पैरा 12 ओर 13) (134-जीः, 135-ए,बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5275/ 2007।

2005 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 56241 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 7.11.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से- जी.ई. वाहनवती, एसजी, डॉ. के.पी. कैलासनाथ पिल्ले, अय्यूब खान, एम.च लीला सर्वेश्वर और विजय कुमार।

उत्तरदाताओं की ओर से- बी.पी. सिंह धाकरे, ए.के. भट्टाचार्य, अजीत कुमार, सुनील कुमार, डी.बी. राज. बोहरा, धरम बीर राज बोहरा, सुब्रमण्डयम प्रसाद, विवेक कोहली और तरुण मेहता।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा पारित किया गया-

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई

2. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिये गये फैसले को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी- नेशनल काॅर्पोरेशन यू.पी. लि. की एक इकाई (संक्षेप में "एनटीसी) ने वसूली कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया और आगे यह भी प्रार्थना की कि उत्तरदाता को निर्देशित किया जावे कि वे अपीलकर्ता

से किसी भी राशि की मांग नहीं करे और/या वसूली नहीं करें।

3. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता इकाई द्वारा सूती धागे का निर्माण किया जाता था। वर्ष 1992 में इकाई में उत्पादन बंद हो गया। बंद पड़ी 11 इकाईयों में से 9 को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और केवल दो को ही पुनर्जीवित किया जा सका। अपीलकर्ता ने रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (संक्षेप में 'एस आई सी ए') के तहत मिल की रूग्णता का मामला बी आई एफ आर को भेजा। मिल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। दिनांक 15.11.2003 को मूलधन के लिए 33,52,251.18 रुपये और विलंब भुगतान अधिभार के लिये 54,50,326.07 रुपये (कुल 88,02,577.25 रुपये) का बिल जारी किया गया था।

4. अपीलकर्ता का यह तर्क था कि विलंब भुगतान अधिभार की मांग औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (संक्षेप में 'बी आई एफ आर') द्वारा 5.2.2000 का अनुमोदित योजना के विपरीत है। पैरा 5.04 के अनुसार विलंबित भुगतान अधिकार वसूलने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि योजना में स्पष्ट रूप से ब्याज और हर्जाने का प्रावधान था। यू.पी. कार्पोरेशन लि. ने इस याचिका का विरोध किया। कार्पोरेशन लिमिटेड का यह तर्क था कि विलंब भुगतान अधिभार को माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है और किसी भी स्थिति में यह अनुमोदित योजना का हिस्सा नहीं था। अपीलार्थी का तर्क था कि मूल राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है।

5. अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि एन टी सी की एक अन्य इकाई, लार्ड कृष्णा मिल्स के मामले में, निगम ने स्वयं विलंब भुगतान अधिभार को माफ करने का निर्णय लिया था। यह योजना का एक हिस्सा था और इसलिये, एक अलग मानदंड लागू नहीं किया जाना चाहिये था।

6. मूल विवाद यह है कि क्या अधिभार अनुमोदित योजना के खंड 5.04 में वर्णित/दर्शाये अनुसार ब्याज और क्षति में शामिल है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के आधार के विरुद्ध मैसर्स एल.एम.एल लि. कानपुर बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. और अन्य एआईआर (2001) इलाहाबाद 321, मामले में पूर्व निर्णय पर निर्भर/भरोसा किया।

7. उच्च न्यायालय की दृष्टि में देरी से किए गए भुगतान पर अधिभार लागू था। यह अभिनिर्धारित किया कि विलंब भुगतान अधिभार लगाने का प्रावधान था और इसलिये राशि देय थी। यह शास्ति या प्रतिकर के रूप में नहीं है। उच्च न्यायालय के अनुसार यह मत मैसर्स एल.एम.एल (उपरोक्त) के मामले में था। उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि लार्ड कृष्णा मिल मामले में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं थी और इसलिए, यद्यपि उक्त इकाई को कुछ राहत दी गई हो तो यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि विलंबित भुगतान अधिभार को माफ किया जा सकता है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि स्वीकृत रूप से अलग से कोई आरोपित राशि नहीं लगाई गई थी और इस कारण ब्याज की छुट का प्रश्न ही नहीं उठता इसके अतिरिक्त इनका यह भी तर्क है कि लार्ड कृष्णा मिल्स मामले में अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया गया था। मैसर्स एल.एम.एल. मामले का निर्णय लागू नहीं होता क्योंकि मामले में विवाद ऊर्जा शुल्क पर अधिभार से संबंधित था। जहां तक लार्ड कृष्णा मिल्स मामले का प्रश्न है तो उस मामले के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न/विशिष्ट नहीं थे इसलिये उच्च न्यायालय द्वारा अनुतोष देने से इंकार करना उचित नहीं था।

9. निगम के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हुये कहा कि विलंब भुगतान अधिभार ब्याज या नुकसान/क्षति से अलग है और इस कारण इसे माफ नहीं किया जा सकता था।

10. योजना के बाध्यकारी प्रभाव के बारे में कोई संदेह नहीं है अनुमोदित योजना परिचालित की गई थी। जिसके खंड 5.03 और 5.04 निम्न प्रकार से हैं-

“5.03 राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश)

(i) बिक्री कर, अवकाश स्थगन आदि सहित राहत रियायतें देने के उद्देश्य से एनटीसीयूपीएल और इसकी मिलों को राहत उपक्रम घोषित करना।

(ii) बिना किसी शर्त के एन टी सी यू पी एल की अधिशेष भूमि संपत्ति की बिक्री को मंजूरी देना और चिन्हित की गई भूमि को वाणिज्यिक आवासीय भूमि रूपांतरण और उनकी बिक्री पर सहमति देना, मास्टर प्लान के अनुसार अधिशेष मशीनरी स्क्रेप की बिक्री पर रूपांतरण शुल्क और विक्रय कर से छूट देना।

(iii) अलाभकारी मिलों की गतिविधियों को बंद करने से संबंधित आवश्यक मंजूरी प्रदान करना और इस संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान करना।

(iv) शहरी भूमि सीमा अधिनियम (यू एल सी ए) के तहत विभिन्न इकाईयों में चिन्हित की गई अधिशेष पट्टेशुदा, पूर्ण स्वामित्व की भूमि की बिक्री की अनुमति देना और स्टांप शुल्क के भुगतान से छूट देना। स्टांप शुल्क का भुगतान भूमि के खरीददार द्वारा किया जायेगा न कि कंपनी द्वारा।

(v) वर्ष 2001-02 के दौरान बिजली, पानी और नगरीय देय राशि के बकाए पर ब्याज और क्षति माफ करना और केवल मूल राशि का भुगतान स्वीकार करना।

(vi) कंपनी को स्क्रेप और अन्य अधिशेष सामग्री की बिक्री पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देना।

5.04 कानपुर विद्युत बोर्ड/राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य सरकार शक्ति कानपुर बिजली बोर्ड या किसी अन्य विद्युत प्राधिकरण को, जिसके क्षेत्राधिकार में मिले स्थिति थी, कंपनी के वर्तमान बकाया देय के संबंध में ब्याज और क्षति को माफ करना।

i) पुनर्वास की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार निरंतर नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना"

11. यह भी देखा गया कि उच्च न्यायालय ने इस पर चर्चा नहीं की है कि लार्ड कृष्णा मिल्स का मामला तथ्यों के आधार पर किस प्रकार और कैसे भिन्न था। मैसर्स एल.एम.एल. मामले का निर्णय लागू नहीं होता क्योंकि इस मामले का निर्णय ऊर्जा शुल्क पर अधिभार से संबंधित था। यदि योजना के खंड 5.03 और 5.04 के वास्तविक प्रभाव के संबंध में कोई संदेह था तो मामला बी आई एफ आर के समक्ष इसे स्पष्ट करने के लिये रखा जा सकता था। वास्तव में एस आई सी आर की धारा 18 की उपधारा (8) और (9) इस मामले पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। जो निम्नानुसार है-

"18. स्कीमें तैयार करना और मंजूर करना-

XXX

XXX

XXX

(8) मंजूर की गई स्कीम या उसके किसी उपबंध के प्रवर्तन में आने की तारीख से ही, स्कीम या ऐसा उपबंध यथास्थिति, रूग्ण औद्योगिक कंपनी और अंतरिती कंपनी या अन्य कंपनी पर और उक्त कंपनियों के शेयर या अन्य कंपनी पर और उक्त कंपनियों के शेयर धारकों, लेनदारों प्रत्याभूतिदाताओं और कर्मचारियों पर भी आबद्धकर होगा।}

(9) यदि मंजूर की गई स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड प्रचालन अभिकरण की सिफारिश पर या अन्यथा आदेश द्वारा कोई भी ऐसी बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो ओर जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।"

XXX

XXX

XXX

12. उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत किये गए और उठाए गए विभिन्न पत्रों और आधारों को संदर्भित नहीं किया है। लार्ड कृष्णा टैक्सटाईल मिल्स को बोर्ड द्वारा विशिष्ट संदर्भ में पत्र दिनांकित 18.06.2003 एवं अन्य पत्र दिनांकित 20.06.2003 विलंबित भुगतान अधिभार की छूट के संदर्भ में लिखे गए थे। उक्त संदर्भ में निगम द्वारा एनटीसी को दिनांक 7.9.2005 को भी पत्र लिखा गया कि लार्ड कृष्णा टैक्सटाईल मिल्स में लिए गए निर्णय के अनुरूप कार्य करने का निर्णय लिया गया है, बी आई एफ आर को संबोधित विशेष सचिव, यू.पी. सरकार के पत्र दिनांकित 3.3.2003 का भी संदर्भ दिया गया। इन परिस्थितियों में मामला निम्नलिखित निर्देशों के साथ उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है:

(1) पक्षकारों द्वारा बी आई एफ आर को यह स्पष्ट करने हेतु जाना चाहिए कि क्या विलंबित भुगतान अधिभार ब्याज या क्षति में शामिल है, इस दृष्टि से कि स्वीकृत स्थिति अनुसार ब्याज नहीं लगाया गया था। बी आई एफ आर का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा। पक्षकार एक महीने के अंदर बी एफ आई आर के समक्ष जायेंगे और बी एफ आई आर से अनुरोध है कि इसके बाद दो माह के भीतर आवश्यक आदेश पारित करे।

(2) लार्ड कृष्णा मिल्स मामले में छूट के प्रभाव पर विधिवत विचार किया

जायेगा।

(3) ऊपर उल्लेखित दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विधिवत विचार किया जाएगा।

13. उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह बी आई एफ आर का आदेश प्राप्त होने से चार महीने के भीतर मामले पर विचार करे।

14. आई.ए. 2006 की संख्या 3 और 4 जो आनंद वृदावन (एक साझेदारी फर्म) द्वारा पक्षकार बनाने और निर्देश देने के लिए दायर किया गया है पर कोई आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका इस अपील में वर्णित विवाद से कोई संबंध नहीं है।

15. खर्च के किसी आदेश के बिना उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी व्यास (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।